न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–317/2019

मो0 शब्बीर.....वादी

बनाम

अफताब आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
28.01.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 29.11.2024 अंदर आदेश 01 नियम 10(2) व्य0प्र0सं0 को दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 28.01.2026 को आदेश हेतु नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद, वादीगण द्वारा वाद भूमि के निष्वत अपनी हकियत कि घोषणा हेतु लाया गया है तथा प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा के माध्यम से वादी के वादग्रस्त भूमि पर किसी तरह के व्यवधान पैदा करने करने से रोक देने की याचना की गई है। वाद भूमि के निष्वत प्रतिवादी सं0–01 आफताब आलम द्वारा अपनी ही पत्नी बीबी जीन्नत प्रवीण को बख्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 17.07.2018 को निष्पादित किया गया है, जिसके कारण प्रस्तुत वाद में उनकी उपस्थिति आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जिन्नत प्रवीण को प्रतिवादी पक्षकार सं0–09 बनाने की कृपा प्रदान किया जाए। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आवेदन दिनांक 29.11.2024 का प्रतिउत्तर दिनांक 10.03.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि वादी का आवेदन कानूनी दृष्टि से पोषणीय नहीं है बल्कि खारीज होने योग्य है। प्रस्तुत वाद, वादी के साक्ष्य हेतु चला आ रहा है लेकिन कोई न कोई आवेदन देकर वादी वाद का त्वरित निष्पादन नहीं होने देना चाहते है। वादी को आफताब आलम बनाम जीन्नत प्रवीण के द्वारा बक्शीश नामा दस्तावेज की जानकारी 17.02.2018 वाद के पूर्व से थी लेकिन, जानकारी के तीन साल के भीतर इनको उचित कानूनी प्रावधानों के आधार पर इन्हें इस वाद में पक्षकार बनाना चाहिए था। वादी द्वारा यह आवेदन जानबूझकर प्रतिवादी को हैरान और	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–317/2019

मो0 शब्बीर.....वादी

बनाम

अफताब आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 28.01.2026	परेशान करने के लिए दिया गया है जो विधि संगत नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का आवेदन दिनांक 29.11.2024 को विशेष खर्चे के साथ खारिज किया जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 29.11.2024 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया है कि आफताब आलम द्वारा अपनी ही पत्नी बीबी जीन्नत प्रवीण को बख्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 17.07.2018 को निष्पादित किया गया है, जिसके कारण प्रस्तुत वाद में उनकी उपस्थिति आवश्यक है। जिन्नत प्रवीण को प्रतिवादी पक्षकार सं0–09 बनाने की कृपा प्रदान किया जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी व्यक्तियों को वाद का आवश्यक पक्षकार बनाया जाना चाहिए। आवेदन में वर्णित जिन्नत प्रवीण वाद की आवश्यक पक्षकार प्रतीत होती है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 29.11.2024 को स्वीकृत किया जाता है एवं वादी को निर्देश दिया जाता है कि विधिक समय–सीमा के अंदर वाद पत्र में जिन्नत प्रवीण का नाम वाद पत्र के प्रतिवादी कॉलम में जोड़े। तद्पश्चात वादी की ओर से जोड़े गए प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 18.03.2025 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	